राज्य स्वास्थ्य समिति
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, गेस्ट हाउस भवन,
द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल म.प्र.

क्रमांक / एन.एच.एम. / आशा / 2014 / भोपाल, दिनांक..... / 2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

विषयः– जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर के कार्यो हेतु दिशा निर्देश ।

विषयान्तर्गत लेख है कि आशा कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय सहयोग तंत्र को गतिशील करने हेतु जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है जोकि आशा एवं एनएचएम के अन्य सामुदायिक प्रक्रिया के घटको की नियमित प्रगति की जानकारी लेना एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम नियोजन , बजट डिजाइन, ब्लॉकों को फंड जारी करवाना, आशा ड्रग किट के पुर्नभराव की निगरानी , एचबीएनसी किट एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा अन्य सहायक सामग्री के वितरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाने हेतु जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा –

(अ) आशा कार्यक्रमः–

1. समय– समय पर राज्य स्तर से दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना एवं ब्लॉक स्तर तक पंहुचाकर पालन सुनिश्चित कराना ।
2. प्रतिमाह 2 ब्लॉक, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामों में आशाओं एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक में भेंट देकर सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना।
3. काम छोड़ चुकी आशाओ एवं बिना आशा वाले गांव का आंकलन करवाकर नई आशाओं का चयन करवाना।
4. समय– समय पर जिले से विकासखंड हेतु फंड जारी किया जाना सुनिश्चित करना एवं बुकिंग करवाना।
5. आशा, आशा सहयोगी एवं बी.सी.एम. का चयन एवं प्रशिक्षण समय–सीमा में, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी प्रक्रिया से कराना।
6. आशा, आशा सहयोगी को प्रोत्साहन राशि के सिंगल विडों एवं मासिक भुगतान सुनिश्चित कराते हुए बुकिंग कराना।
7. आशा किटों की आपूर्ति (ड्रग किट एवं एचबीएनसी किट) , वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाना तथा किटों का डाटा बेस तैयार कराना और राज्य कार्यालय को अवगत कराना।
8. आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. में अच्छे संबंध स्थापित रहें तथा इनकी भूमिकायें स्पष्ट रहें इस हेतु महिला बाल विकास विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।
9. आशा सहयोगी की बैठकें लेना एवं उनको अपने कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं में सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना ।
10. आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे – आशा पुरस्कार , शिकायत निवारण प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंन्द्रों में आशा रेस्टरूम की व्यवस्था को सुदृण बनाना ।
11. आशा बुलेटिन की आशा तक पंहुच बनाना और भौतिक सत्यापन कराना ।

(ब) सामुदायीकरण :–

1. सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये जिला तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना।
2. आशा मेन्टरिंग ग्रुप फॉर कम्यूनिटी एक्शन (जिला एवं ब्लॉक एम.जी.सी.ए.) का प्रावधान अनुसार ग्रेवेन्स रिड्रेसल सेल के गठन, संचालन द्वारा आशा, आशा सहयोगी तथा अन्य समस्याओं का निपटारा करना ताकि वे अपने कार्य को पूर्ण लगन से कर सकें।
3. राज्य स्तरीय आशा मेन्टरिंग ग्रुप के सदस्यों हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
4. आशा, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति तथा सामुदायिक निगरानी के कार्यों की आयोजना, निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

(स) ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितिः–

1. आशा एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के गठन एवं संचालन में सहयोग एवं क्रियान्वयन में नवाचार गतिविधियों का दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिग करना।
2. अन्य गतिविधियों में जैसे – आशाओं की मासिक बैठकों, आशा दिवस इत्यादि का जिले की कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वयन करवाना।
3. ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं सामग्री उपलब्ध कराना। ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) में गुणवत्ता हेतु आवश्यक रणनीति बनाना।
4. ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को समय पर अनाबद्ध राशि उपलब्ध कराना तथा प्रावधान अनुसार कार्य हेतु मार्गदर्शन देना।

(द) प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धनः–

1. कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रशिक्षणों को कार्य योजना के अनुसार समय–सीमा में संपन्न कराना।
2. जिला प्रशिक्षण स्थलों का विकास और जिला प्रशिक्षकों के चयन एवं क्षमता वर्धन में सहयोग करना
3. आशा प्रशिक्षण की कार्ययोजना प्रतिमाह तैयार करना एवं प्रति आशा तक प्रशिक्षण की जानकारी 5 दिन पूर्व पहुंचाना सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारू व्यवस्था रहे जैसे– समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है।

5. सभी जिला प्रशिक्षकेां और प्रशिक्षाणार्थियों का एक डाटाबेस रखना । यह एक निगरानी साधन का कार्य करेगा जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियोजन सत्र में बदलाव, प्रशिक्षण को छोड़ने वाले प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षाणार्थियों और प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।
6. कार्यक्रम से संबंधित सभी जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, सहयोगी विभागों का आशा कार्यक्रम व ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति हेतु उन्मुखीकरण करना।

(ध) समन्वय :–

1. बी.सी.एम. की प्रतिमाह बैठक लेना एवं उनके कार्यों के नियोजन तथा निष्पादन में आ रही समस्याओं में सहयोग प्रदान करना।
2. डीपीएमयू के साथ एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के समन्वय करना ।
3. जिला एमजीसीए सदस्यों के साथ समन्वय करना, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देना, नियमित बैठके आयोजित कराना एवं समस्त एमजीसीए सदस्यों का डाटाबेस तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना।
4. प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी विभागों, जैसे कि महिला एवं बाल विकास , जल एवं सफाई , ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ।
5. सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रियाओं (आशा, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति) को सुदृढ़ बनाने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना तथा इस हेतु आवश्यक संरचना तैयार करना।
6. आईईसी की गतिविधियों मे सहयोग प्रदान करना।

(न) सहयोगी पर्यवेक्षण और निरंतर निगरानी करना :–

1. रिपोर्ट्स एवं आंकड़ो को **प्रत्येक माह के 5 तारीख तक** राज्य स्तर पर वेबसाइटः **www.communityactionmp.com** को उपलब्ध कराना।
2. प्रमुख कार्यो में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए बीसीएम द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप जिला स्तरीय रिपोर्टो का संकलन करना एवं संकलित रिपोर्ट को राज्य कार्यालय को भेजना
3. वेबसाइटः **www.communityactionmp.com** पर इन्द्राज की जा रही रिपोर्ट का विश्लेश्षण करना एवं बीसीएम से रिपोर्ट इन्द्राज कराया जाना सुनिश्चित करना।
4. एमडीआर सोफ्टवेयर में एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करना।
5. मौसमी बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने की निगरानी कराना।
6. आउट ब्रेक वाले गांवों का भ्रमण एवं बीसीएम, आशा सहयोगी एवं आशा के साथ प्लानिंग कराना ।

(प) विशेष :–

1. जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सीधे निर्देश पर कार्य करेंगें।
2. दैनिक कार्यावधि कार्यालयीन समय एवं आवश्यकतानुसार होगा।
3. निवास स्थान अनिवार्यतः जिला मुख्यालय होगा।

उपरोक्त कार्यो को करते हुये डीसीएम अपने कार्य में दक्षता ला सकेगे तथा आशा कार्यक्रम की गतिशीलता और विकासशील प्रकृति को देखते हुये एवं सहयोगी कार्यो की बहुतायत का ध्यान रखते हुये यह आवश्यक हो जाता है कि डीसीएम को सिर्फ आशा और सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रमों के सहयोगी के रूप में तैनात किया जाए और अन्य कार्यक्रमें के सहायक कार्यों में उनकी सेवाऐं ना ली जाए

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./आशा/2014/ भोपाल, दिनांक...../2014

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
6. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, समस्त संभाग।
9. समस्त ओआईसी एवं एसपीएमयू, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
10. कलेक्टर समस्त जिले
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से डीसीएम ।

मिशन संचालक,

राज्य स्वास्थ्य समिति

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, गेस्ट हाउस भवन,
द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल म.प्र.

क्रमांक/एन.एच.एम./आशा/2014/ भोपाल, दिनांक...../2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

विषयः– ब्लॉक कम्यूनिटी मोबिलाइजर के कार्यो हेतु दिशा निर्देश ।

विषयान्तर्गत लेख है कि आशा कार्यक्रम एवं ब्लॉक स्तरीय सहयोग तंत्र को गतिशील करने हेतु ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है जोकि आशा एवं एनएचएम के अन्य सामुदायिक प्रक्रिया के घटको की नियमित प्रगति की जानकारी लेना एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम नियोजन , बजट डिजाइन, ब्लॉकों को फंड जारी करवाना, आशा ड्रग किट के पुर्नभराव की निगरानी , एचबीएनसी किट एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा अन्य सहायक सामग्री के वितरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाने हेतु ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा –

अ) आशा कार्यक्रमः–

1. समय– समय पर जिला / राज्य स्तर से दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना एवं आशा सहयोगी तक पंहुचाकर पालन सुनिश्चित कराना ।
2. प्रतिमाह प्रत्यके आशा सहयोगी , 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामों में आशाओं एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक में भेंट देकर सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना।
3. काम छोड़ चुकी आशाओ एवं बिना आशा वाले गांव का आंकलन करवाकर नई आशाओं का चयन करवाना।
4. आशा एवं आशा सहयोगी का चयन एवं प्रशिक्षण समय–सीमा में, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी प्रक्रिया से कराना।
5. आशा, आशा सहयोगी को प्रोत्साहन राशि के सिंगल विडों एवं मासिक भुगतान सुनिश्चित कराते हुए बुकिंग कराना।
6. आशा किटों की आपूर्ति (ड्रग किट एवं एचबीएनसी किट) , वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाना तथा किटों का डाटा बेस तैयार कराना और जिले को प्रतिमाह अवगत कराना।
7. आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. में अच्छे संबंध स्थापित रहें तथा इनकी भूमिकायें स्पष्ट रहें इस हेतु महिला बाल विकास विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।
8. आशा सहयोगी की बैठकें लेना एवं उनको अपने कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं में सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना ।
9. आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे – आशा पुरस्कार , शिकायत निवारण प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंन्द्रों में आशा रेस्टरूम की व्यवस्था को सुदृण बनाना ।
10. आशा बुलेटिन की आशा तक पंहुच बनाना और भौतिक सत्यापन कराना ।
11. विकासखंड में सघन भ्रमण कर जनसंवाद, सामुदायिक निगरानी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नीतीगत निर्णय लेकर कार्य कराना।
12. विकासखंड स्तरीय सामुदायिक निगरानी के अंतर्गत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

(ब) सामुदायीकरण :–

1. सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये जिला तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना।
2. आशा मेन्टरिंग ग्रुप फॉर कम्यूनिटी एक्शन (ब्लॉक एम.जी.सी.ए.) का प्रावधान अनुसार ग्रेवेन्स रिड्रेसल सेल के गठन, संचालन द्वारा आशा, आशा सहयोगी तथा अन्य समस्याओं का निपटारा करना ताकि वे अपने कार्य को पूर्ण लगन से कर सकें।
3. राज्य एवं जिला स्तरीय आशा मेन्टरिंग ग्रुप के सदस्यों हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
4. आशा, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति तथा सामुदायिक निगरानी के कार्यों की आयोजन, निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
5. आशा, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति तथा सामुदायिक निगरानी के कार्यों की विकासखंड में निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
6. ग्राम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकासखंड स्तर पर समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए गठित समितियों को सक्रिय करना।
7. उपरोक्त समितियों का प्रशिक्षण, योजना बनाना एवं लागू कराना।
8. सामुदायिक निगरानी के तकनीकी टूल्स के आधार पर जानकारी एकत्र कर राज्य स्तर की वेबसाइटः **www.communityactionmp.com** पर फीड करना/कराना।
9. समुदाय स्तर पर सफल प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना।
10. जन निगरानी के माध्यम से समुदाय के प्रति विभाग की जवाबदेही हेतु कार्य करना।
11. ब्लॉक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयोजना एवं निगरानी समिति का गठन करना।

12. समितियों का प्रशिक्षण कराना एवं इनके आधार पर सेवाओं का मूल्यांकन कराना एवं तदनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव रखना।

(स) ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितिः–

1. आशा एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के गठन एवं संचालन में सहयोग एवं क्रियान्वयन में नवाचार गतिविधियों का दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिग करना।
2. अन्य गतिविधियों में जैसे – आशाओं की मासिक बैठकों, आशा दिवस इत्यादि का ब्लॉक की कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वयन करवाना।
3. ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं सामग्री उपलब्ध कराना। ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) में गुणवत्ता हेतु आवश्यक रणनीति बनाना।
4. ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को समय पर अनाबद्ध राशि उपलब्ध कराना तथा प्रावधान अनुसार कार्य हेतु मार्गदर्शन देना।
5. ग्राम आरोग्य केन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) में गुणवत्ता हेतु आवश्यक रणनीति बनाकर कार्य करना।

(द) प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धनः–

1. कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रशिक्षणों को कार्य योजना के अनुसार समय–सीमा में संपन्न कराना।
2. ब्लॉक प्रशिक्षण स्थलों का विकास में सहयोग करना ।
3. आशा प्रशिक्षण की तैयार कार्ययोजना के अनुसार प्रति आशा तक प्रशिक्षण की जानकारी 5 दिन पूर्व पहुंचाना सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारू व्यवस्था रहे जैसे– समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है।
5. सभी प्रशिक्षाणार्थियों का एक डाटाबेस रखना । यह एक निगरानी साधन का कार्य करेगा जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियोजन सत्र में बदलाव, प्रशिक्षण को छोड़ने वाले प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षाणार्थियों और प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।
6. कार्यक्रम से संबंधित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, सहयोगी विभागों का आशा कार्यक्रम व ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति हेतु उन्मुखीकरण करना।

(ध) समन्वय :–

1. बीपीएमयू के साथ एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के समन्वय करना ।
2. ब्लॉक एमजीसीए सदस्यों के साथ समन्वय करना, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देना, नियमित बैठके आयोजित कराना एवं समस्त एमजीसीए सदस्यों का डाटाबेस तैयार कर जिले को प्रेषित करना।
3. प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनें और अन्य सरकारी विभागों, जैसे कि महिला एवं बाल विकास , जल एवं सफाई , ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
4. सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रियाओं (आशा, आशा सहयोगी एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति) को सुदृढ़ बनाने के लिये ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना तथा इस हेतु आवश्यक संरचना तैयार करना।
5. आईईसी की गतिविधियों मे सहयोग प्रदान करना।

(न) सहयोगी पर्यवेक्षण और निरंतर निगरानी करना :–

1. रिपोर्ट्स एवं आंकड़ो को **प्रत्येक माह के 5 तारीख तक** राज्य स्तर पर वेबसाइटः **www.communityactionmp.com** को उपलब्ध कराना।
2. प्रमुख कार्यो में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए आशा सहयोगी द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप ब्लॉक स्तरीय रिपोर्टो का संकलन करना एवं संकलित रिपोर्ट को जिले स्तर पर भेजना
3. एमडीआर सोफ्टवेयर में एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करना।
4. मौसमी बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने की निगरानी कराना।
5. आउट ब्रेक वाले गांवों का भ्रमण एवं आशा सहयोगी , आशा के साथ प्लानिंग कराना ।

(प) विशेष :–

1. ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर बीएमओ के सीधे निर्देश पर कार्य करेंगें।
2. दैनिक कार्यावधि कार्यालयीन समय एवं आवश्यकतानुसार होगा।
3. निवास स्थान अनिवार्यतः ब्लॉक मुख्यालय होगा।

उपरोक्त कार्यो को करते हुये बीसीएम अपने कार्य में दक्षता ला सकेगे तथा आशा कार्यक्रम की गतिशीलता और विकासशील प्रकृति को देखते हुये एवं सहयोगी कार्यो की बहुतायत का ध्यान रखते हुये यह आवश्यक हो जाता है कि बीसीएम को सिर्फ आशा और सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रमों के सहयोगी के रूप में तैनात किया जाए और अन्य कार्यक्रमें के सहायक कार्यों में उनकी सेवाऐं ना ली जाए।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / एन.एच.एम. / आशा / 2014 / भोपाल, दिनांक..... / 2014

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
6. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, समस्त संभाग।
9. समस्त ओआईसी एवं एसपीएमयू, एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
10. कलेक्टर समस्त जिले
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से बीसीएम।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश